

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

मदनलाल

बनाम

बनाम : पं. धातु (करो)

मुकदमा






प्राथमिक पत्र

नं०

11

सन्

2022

धारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
05/02 2025	पत्रावली पैदा हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। तकील तदी द्वारा संशोधित प्रा०पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा जा दिया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित प्रा०पत्र दिनांक 11/02/2025 को पेश हो। 	
11/02 2025	पत्रावली पेश हुई P.O. साहब अवकाश पर होने से अब पत्रावली पूर्णतः तार दिनांक 05/03/25 को पेश की जावे। 	
05/03 2025	पत्रावली पेश हुई P.O. साहब अवकाश पर होने से अब पत्रावली पूर्णतः तार दिनांक 25/03/25 को पेश की जावे। 	
25/03 2025	पत्रावली पैदा हुई। प्राथी व तकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। प्राथी व तकील प्रार्थी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई लावजूद प्रार्थी व तकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण में प्राथी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रा०पत्र वही स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। 	

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)